न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2022, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. अमृतलाल टाक पुत्र चौडा परवत जाति क्षत्रीय निवासी कच्ची ठेकेदार की बगीची, कुटी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
2. चन्द्रकान्त पुत्र हेमराज जाति क्षत्रीय निवासी कच्ची ठेकेदार की बगीची, कुटी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
3. तनुप पुत्र स्व. पुरुषोत्तम जाति क्षत्रीय निवासी कच्ची ठेकेदार की बगीची, कुटी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।
4. ईश्वरलाल(फौत)

4/1. तरूण पुत्र स्व. ईश्वरलाल

4/2. जयना पुत्री स्व. ईश्वरलाल

4/3. प्रीति पुत्री स्व. ईश्वरलाल

5. दिनेशचन्द पुत्र चौडा परवत
6. श्रीमति इन्दुमति पत्नि जगमाल परमार पुत्री चौडा परवत समस्त जाति क्षत्रीय निवासी शिवशक्ति नगर, किंग्स रोड, निर्माण नगर जयपुर।

प्रार्थीण

बनाम

1. श्रीमति रूक्मणी देवी पत्नि रत्तीलाल जाति क्षत्रीय निवासी हाल मकान नम्बर 72/284 परमहंस मार्ग, मानसरोवर जयपुर।
2. राजेन्द्र टाक पुत्र रत्तीलाल जाति क्षत्रीय निवासी हाल मकान नम्बर 72/284 परमहंस मार्ग, मानसरोवर जयपुर।
3. संजय कुमार पुत्र रत्तीलाल जाति क्षत्रीय निवासी हाल मकान नम्बर 72/284 परमहंस मार्ग, मानसरोवर जयपुर।
4. अन्नो पत्नि नरेन्द्र पुत्री रत्तीलाल जाति क्षत्रीय निवासी श्रीरामपुर जिला अहमद नगर महाराष्ट्र।
5. स्वाति पत्नि गिरीश चौहार पुत्री रत्तीलाल जाति क्षत्रीय निवासी मकान नम्बर 43/32/12 स्वर्णपथ मानसरोवर जयपुर।
6. महेन्द्र कुमार पुत्र जादव जाति क्षत्रीय निवासी कच्ची ठेकेदार का बगीचा, हाल निवासी मकान नम्बर ए–3/एच–3, सुन्दर पथ, बनीपार्क जयपुर।
7. हरीशचन्द्र पुत्र स्व. जादव जाति क्षत्रीय निवासी कच्ची ठेकेदार का बगीचा हाल निवासी मकान नम्बर 171, रणजीत नगर, खातीपुरा जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बसवा एवं उपपंजीयन अधिकारी उपपंजीयन कार्यालय बांदीकुई।
9. श्री नीरज मीणा उपजिला कलक्टर बांदीकुई।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण वाद पत्र इस्तकरारहक उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी अमृतलाल बनाम रूक्मणी मुकदमा नम्बर 35/2016 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री दयाराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीण उपस्थित।

: श्री सुभाष शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 उपस्थित।

(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर

दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र.सं. 52/2022, प्रा.पत्र स्थानान्तरण

:– निर्णय :– दिनांकः–17.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक वाद इश्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी अमृतलाल बनाम रूक्मणी न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई में पेश कर रखा है। उपजिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमाई गई है कि प्रतिवादी अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे अर्थात् वादग्रस्त भूमि को रहन बय हस्तान्तरण किसी को भी नहीं करे। परन्तु प्रतिवादीगण पीठासीन अधिकारी उपजिला कलक्टर बांदीकुई से मिलकर उपजिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाकर वादग्रस्त भूमि कोयेन–केन प्रकारेण बेचान करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण को उपजिला कलक्टर बांदीकुई से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई में विचारधीन वाद उनवानी अमृतलाल बनाम श्रीमति रूक्मणी मुकदमा संख्या 35/2016 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई में विचाराधीन वाद उनवानी अमृतलाल बनाम रूक्मणी में उपजिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमाई गई है कि प्रतिवादी अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे अर्थात् वादग्रस्त भूमि को रहन बय हस्तान्तरण किसी को भी नहीं करे। परन्तु अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी उपजिला कलक्टर बांदीकुई से मिलकर अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करवाकर वादग्रस्त भूमि को येन–केन प्रकारेण बेचान करना चाहते है। उपजिला कलक्टर बांदीकुई भी प्रकरण में नजदीकी तारीख पेशी देकर प्रकरण का फैसला शीघ्र कर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने पर आमादा है। उक्त वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत तकास्मा भी नहीं हुआ है। उक्त वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है। प्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी उपजिला कलक्टर बांदीकुई से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई में विचारधीन वाद संख्या 35/2016 अमृतलाल बनाम रूक्मणी व प्रार्थ्ना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध उसके स्वामित्व के अधिकारो को विवादित करने हेतु एकराय होकर मिथ्या, निराधार, बनावटी व मनगढन्त तथ्यों का समावेश करते हुये प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति रूक्मणी देवी 90 वर्ष की विधवा महिला है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 अपनी सम्पत्ति का अपने जीवनकाल में उपयोग व उपभोग नही कर सके तथा प्रकरण 20–25 वर्षो तक लम्बा चलता रहे। प्रार्थीगण की मंशा प्रकरण का निस्तारण करने की कदापि नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई में मूल प्रकरण गत 6 वर्षो से भी अधिक समय से मात्र एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के पूर्ण रूप से निस्तारण हेतु लम्बित चला आ रहा है। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिलकर येनकेन प्रकारेण प्रकरण का निस्तारण कर वादग्रस्त भूमि का बेचान करना चाहते है यह कतई मिथ्या व मनगढन्त व बनावटी कथन है। वर्ष 1971 में अप्रार्थी संख्या 1

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ने उक्त विवादित भूमि भगवान सहाय व ओमप्रकाश से क्रय की थी तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया था तथा वर्ष 1971 से अप्रार्थी संख्या 1 विवादित सम्पत्ति की एकमात्र मालिक काबिज चली आ रही है। जिससे सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात की प्रति अप्रार्थीगण के द्वारा मूल प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में प्रस्तुत कर रखी है। जबकि इसके विपरीत वादीगण ने कोई भी ऐसा दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित हो कि विवादित भूमि परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या, बनावटी व आधारहीन कथनो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्या है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के बाबत् कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण का उद्देश्य प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपजिला कलक्टर बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहरीर भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.4.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

अति. जिला कलक्टर
दौसा (राज.